निर्णय बइजलास श्री शक्तिसिंह भाटी, सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमंद

प्र.सं. 91/2020 प्रार्थना पत्र   निर्णय दिनांक 04.01.2021

अनवान

श्री प्रभात मेघवाल पुत्र भल्लाराम जाति मेघवाल उम्र बालिग निवासी नेनिया तहसील परबतसर नागौर जिला नागौर हाल निवासी घाटी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

– प्रार्थी

:: बनाम ::

राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि श्रीमान तहसीलदार साहब देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

–विपक्षी

<u>प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136–131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम</u>

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम घाटी पटवार हल्का आंजना तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में स्थित हैं जिसके पुराने आराजी नम्बर 729/172 रकबा 5–00 बीघा एंव आराजी नम्बर 761/172 रकबा 5–00 बीघा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी तथा नये आराजी नम्बर 270 क्षैत्रफल 1. 0800 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 275 रकबा 0.5000 हैक्टेयर भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं । इस प्रकार 0.5800 हैक्टेयर भूमि कम दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में त्रुटी है। भूमि का प्रार्थी खातेदार मालिक हैं एंव उक्त वर्णित भूमि पर प्रार्थी काबिज कास्त हैं तथा पुरानी आराजी नम्बर अनुसार प्रार्थी की भूमि का भाग एक ही था तथा भूमि का आराजी नम्बर 729/172 रकबा 5–00 बीघा था तथा आराजी नम्बर 761/172 रकबा 5–00 बीघा था जो दोनो सटमा थे

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

परन्तु वर्तमान नई चालु जमाबन्दी मे प्रार्थी की उक्त पुरानी आराजी नम्बर 729/172 रकबा 5–00 बीघा के नये आराजी नम्बर 270 एंव आराजी नम्बर 761/172 क्षैत्रफल 0.5000 हैक्टयर हैं तथा उक्त वर्तमान आराजी नम्बर दोनो काफी दुर–दुर राजस्व नक्शे में अंकित कर दिये हैं जिस कारण प्रार्थी को भारी परेशानी हो रही है। उक्त आराजी राजस्व रेकार्ड की पुरानी जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 एंव नक्शा ट्रेस व त्रुटी पूर्ण वर्तमान चालु जमाबन्दी एंव नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति साथ संलग्न है। उक्त राजस्व जमाबन्दी नकल एंव नक्शे में हुई त्रुटी की जानकारी प्रार्थी को दिनांक 13.03.2020 को तहसील देवगढ़ से ऑन लाईन नकल एंव राजस्व नक्शे की प्रमाणित प्रति प्राप्त की तो हुई प्रार्थी ने उक्त राजस्व जमाबन्दी रेकार्ड के साथ राजस्व नक्शे की प्रति भी प्राप्त की व पुराने नक्शे में मिलान किया तो वर्तमान नक्शे में व राजस्व रेकार्ड में भी भारी अंतर हैं एंव जो प्रार्थी का उक्त आराजी का पुराना राजस्व नक्शा था उसी अनुसार नया राजस्व नक्शा नही होकर वर्तमान राजस्व नक्शे में परिवर्तित कर पृथक–पृथक दो भाग कर दिये गयें हैं तथा दोनो आराजी खसरा के मध्य काफी अन्तराल अंकित कर दोनो आराजी को दूर दूर कर दिया है। उक्त राजस्व जमाबन्दी एंव राजस्व नक्शे में हुई त्रुटी को पूर्व जमाबन्दी रेकार्ड एंव राजस्व नक्शे के आधार पर दुरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के वास्तविक एंव सभी दस्तावेज, जिसमें जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 एंव पटवारी हल्का द्वारा जारी की गई नकल, नक्शा ट्रेस जिसमें प्रार्थी की भूमि आराजी नम्बर पुरानी 729/172 रकबा 5 बीघा एंव आराजी नम्बर 761/172 रकबा 5 बीघा का एक ही भूभाग दर्ज हैं तथा नये राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी एंव राजस्व नक्शे हुई त्रुटी की वजह से प्रार्थी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी जब नक्शा ट्रेस एंव रेकार्ड में शुद्धि हेतु तहसील कार्यालय पहूंचा तो वहां पर जानकारी हुई कि राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि के लिये दावा करना पडेगा जिससे राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के लिये आप न्यायालय में धारा 136,131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र किया जा रहा है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गयें जिनके सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए प्रत्युत्तर में विपक्षी राज्य सरकार की ओर से श्रीमान तहसीलदार देवगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार देवगढ़ द्वारा पटवारी मौका पर्चा

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

रिपोर्ट बनवाई गई जिसकी प्रमाणित प्रति प्रार्थी अधिवक्ता ने पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। जिसमें अंकित किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट व पूर्व वर्तमान राजस्व रिकार्ड पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी अपनी पुराने आराजी नम्बर 729/172 रकबा 5 बीघा एंव 761/172 रकबा 5 बीघा पुराने नक्शे में जिस स्थान पर तरमीम हैं उसी स्थान पर काबिज है किन्तु सेटलमेन्ट के बाद लागु नक्शा ट्रेस में अंकित नवीन आराजी नम्बर 270 व 275 प्रार्थी के पूर्व के तरमीमसुदा व कब्जेसुदा आराजी नम्बर 729/172 एंव 761/172 के विपरीत भिन्न स्थान पर तरमीम हो गया है जिस स्थान पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है। प्रार्थी की भूमि का नवीन आराजी नम्बर 270 व 275 सेटलमेन्ट से पूर्व के तरमीमसुदा नक्शे के विपरीत भू-प्रबंध विभाग द्वारा सेटलमेन्ट के वक्त तरमीम हुआ है। प्रार्थी अपने पूर्व के तरमीमसुदा आराजी नम्बर 729/172 एंव 761/172 पर ही काबिज हैं। भू-प्रबंध विभाग से जारी नवीन नक्शा ट्रेस व पूर्व का राजस्व रेकार्ड व नक्शे में भिन्नता है एंव मौका पर्चा रिपोर्ट में पटवारी हल्का ने उल्लेख किया कि नक्शा शीट नवीन में एंव पुरानी शीट में तरमीम में भिन्नता हैं एंव दोनो आराजी पुरानी शीट अनुसार सटे हुए है।

उभय पक्ष अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि नवीन आराजी नम्बर 275 एंव 270 रकबा क्रमशः 5-5 बीघा हैं परन्तु सेटलमेन्ट विभाग की गलती से नवीन आराजी संख्या 275 रकबा 0. 50 हैक्टेयर दर्ज हैं वर्तमान में 0.58 हैक्टेयर भूमि रिकार्ड में कम हो रही हैं एंव प्रार्थी मौके पर पूर्व नक्शा अनुसार काबिज हैं उसी स्थान पर नवीन आराजी को नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि राजस्व रेकार्ड एंव राजस्व नक्शा ट्रेस में शुद्धि किया जाना न्याय हित में आवश्यक हैं जिससे प्रार्थी अपनी भूमि का विकास कर सकें एंव प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थनापत्र में वर्णित भूमि जिसके पुराने आराजी खसरा नम्बर 729/172 रकबा 5-00 बीघा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी तथा नये आराजी खसरा नम्बर 270 क्षैत्रफल 1.0800 हैक्टेयर हैं एंव खसरा संख्या 275 के पुराने खसरा संख्या 761/172 रकबा 5 बीघा हैं वर्तमान में 0.5800 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकार्ड में कम हो रही हैं जो

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

राजस्व नक्शा ट्रेस में त्रुटी होने से शुद्व किया जाना न्याय हित में आवश्यक है प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी की बहस का मनन किया गया प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेजो का अवलोकन किया गया तहसीलदार देवगढ़ के द्वारा पेश जवाब का अवलोकन किया गया तहसीलदार देवगढ़ के जवाब एंव पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। तहसीलदार देवगढ़ द्वारा पेश जवाब पत्र एंव पटवारी हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136, 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर राजस्व जमाबन्दी एंव ट्रेस में प्रार्थी की खातेदारी भूमि के वर्तमान आराजी नम्बर 270 रकबा 1.0800 हैक्टेयर एंव आराजीनम्बर 275 रकबा 0.5000 हैक्टेयर को पुराने आराजी नम्बर 729/172 रकबा 5 बीघा व आराजी नम्बर 761/172 रकबा 5 बीघा पुरानी जमाबन्दी एंव पुराने नक्शा ट्रेस अनुसार जो वर्तमान राजस्व ट्रेस व राजस्व रिकार्ड में अंकन को विशुद्व किये जाने का आदेश दिया जाता है एंव प्रार्थी वर्तमान में जहां पूर्व नम्बर व ट्रेस अनुसार मोके पर काबिज हैं उसी स्थान पर नये नम्बर को राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार देवगढ़ को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर एंव
देवगढ़,जिला-राजसमन्द
उपखण्ड अधिकारी देवगढ़